

7/3/2022

आपने वक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा  
प्रा० पत्र संख्या 151, 152, 153  
संश्लेषित पत्र 141 CPC न्यायालय

द्वारा मं पेश किया। जिसमें विवेक  
किया है कि उक्ताने प्रकरण सुरेश चन्द  
बनाम सुरेन्द्र कुमार वर्मा नामक अपील  
संख्या 19/2019 निर्णय दिनांक 28/9/2021

ग्राम जोसेल लक्ष्मील कोसा का नामक  
संख्या 216 दिनांक 20-12-2001 है जो  
द्वारा संख्या 169 का है। गलत है  
नामा० संख्या 216 के स्थान पर  
210 अंकित हो गया है तथा अपील  
के शीर्षक व अनुसूच मं भी 210  
अंकित हो गया है। अतः नामा०

संख्या 210 के स्थान पर 216 अंकित  
किया जावे। इस तदर्थ मं लक्ष्मीलका  
कोसा के भी पत्रांक 510 दिनांक 7/2/22  
द्वारा भी दुरुस्त करने का विवेक  
किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर  
किया जावे। प्रार्थी का प्रा० पत्र  
स्वीकार किया जाय है। प्रकरण  
में मूल अपील संख्या 19/2019

एवं निर्णय दिनांक 28/9/2021 का



अवलोकन करने पर जातिट काफ़ा  
कि निर्णय दिनांक 28/9/2021 में  
नाम० संख्या 216 के स्थान पर  
210 अंकित हो गया है। अतः  
निर्णय दिनांक 28.9.2021 में  
आंशिक संशोधन किया जाता है  
कि उक्त निर्णय में नाम० संख्या  
210 अंकित हुआ है उसे नाम०  
संख्या 216 पर हटा जावे। तत्पश्चात्  
दोष को पालना हेतु तहरीर जारी  
हो। प्रा० पत्र / पत्रावली प्रैसल  
शुभार की जाती है। पत्रावली  
मूल नाम० अपील सं० 13/ 2019  
के साथ संलग्न की जावे। पत्रावली  
द्विज रजिस्ट्रार से काम की जाकर  
प्राविष्ट भयुक्त हो।



जुग खण्ड  
कोष (सप.)